छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, रायपुर.

क्रमाक/एफ-3-35/04/(6)52 रायपुर, दिनांक 11.01.2005

प्रति,

संचालक
ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा प्रभाग)
रायपुर.

विषयः- हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के लिए रिवांल्विंग फण्ड नियम 2004 की स्वीकृति।

संदर्भः- आपका ज्ञापन क्रमांक/हा./योजना/2004/1134/दिनांक 24.07.04.

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बुनकर सहकारी समितियों के लिए रिवाल्विंग फण्ड सहायता योजना 2004 को स्वीकृति प्रदान की जाती है। नियमों की प्रति संलग्न है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक यू.ओं. क्रमांक 1014/बी-5/एफ, दिनांक 16-09-04 द्वारा प्रदान की गयी है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(सही)
(रेजीना टोप्पो)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग

क्रमांक/एफ-3-35/04/(6)52 रायपुर, दिनांक.....

प्रतिलिपिः-

1 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर।
2 महालेखाकार, (लेखा व हकदारी प्रथम छत्तीसगढ़ रायपुर)
3 महालेखाकार (लेखा व बजट प्रथम छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ। एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग

बुनकर सहकारी समितियों के लिये रिवाल्विंग फण्ड
सहायता योजना - 2004

1. **प्रस्तावना -**

प्रदेश के अधिकांश बुनकर सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। वस्त्र उत्पादन हेतु सूती वस्त्र उत्पादन करने वाली बुनकर सहकारी समितियों के पास पूंजी की कमी होने के कारण पर्याप्त क्षमता में बुनकरों को रोजगार उपलब्ध नहीं दे पाती ऐसे सहकारी समितियों को रिवाल्विंग फण्ड योजनांतर्गत वित्तीय सहायता दिया जाना प्रस्तावित है।

2. **सहायता योजना -**

यह सहायता योजना प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों के लिये रिवाल्विंग फण्ड सहायता योजना 2004 कहलायेंगें।

3. **उद्देश्य -**

रिवाल्विंग फण्ड सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य सूती वस्त्र उत्पादन करने वाली बुनकर सहकारी समितियों के बंद करघों को कार्यशील करने तथा उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना है ताकि वे बाजार मांग अनुसार हाथकरघा वस्त्र उत्पादन में वृद्धि कर अधिकाधिक लोगो को रोजगार एवं सुविधा मुहईया करा सकें।

4. **सहायता हेतु पात्रता -**

1. यह सहायता सूती वस्त्रा उत्पादन करने वाली प्रदेश के ऐसे बुनकर सहकारी समितियों जिनकी नगद साख सीमा अवरूद्ध/कालातीत हो चुकी है।
2. यह सहायता अकार्यशील एवं कार्यशील बुनकर सहकारी समितियों के बंद करघो को कार्यशील करने के लिए दी जायेगी।
3. यह सहायता प्रदेश के कार्यशील समितियों को किसी विशेष हाथकरघा वस्त्र उत्पादन परियोजना को पूरा करने के लिए भी दी जा सकेगी।

5. **वित्तीय सहायता की प्रकृति -**

रिवाल्विंग फण्ड सहायता राशि पूर्णतः वसूली योग्य है। यह राशि स्वीकृत वर्ष के तीन .....बाद चौथे वर्ष में बिना ब्याज के तीन त्रैमासिक समान किश्तों में वसूली की जावेगी।

6. **वित्तीय सहायता की स्वीकृति -**

रिवाल्विंग फण्ड कंडिका-4 के तहत पात्र बुनकर सहकारी समितियों को प्रति करघा रूपये 15,000/- के मान से 1.50 लाख की सहायता स्वीकृत की जा सकेगी।

6.1 एक वर्ष में बुनकर सहकारी समिति को अधिकतम 10 करघों के लिए ही रिवाल्विंग फण्ड के तहत राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

6.2 रिवाल्विंग फण्ड योजना अंतर्गत स्वीकृति विभागीय अधिकारियों द्वारा बुक आफ फाईनेंशियल पावर के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार की जावेगी।

6.3 सम्बधित समिति को दी गई सहायता राशि की वसूली शत् प्रतिशत होने पर कंडिका 6.1 अनुसार उक्त योजनांतर्गत सहायता सम्बन्धित समिति की मांग पर दी जा सकेगी।

6.4 योजनांतर्गत प्रदत्त राशि संबंधित उप/सहायक संचालक एवं अध्यक्ष बुनकर सहकारी समितियों के पृथक संयुक्त सेविंग खाते में जमा की जावेगी, जिसका परिचालन समिति के अध्यक्ष एवं उप/सहायक संचालक हाथकरघा के संयुक्त हस्ताक्षर से की जावेगी। समिति के संचालक मण्डल के भंग होने की स्थिति में उक्त खाते का परिचालन संस्था प्रभारी अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी एवं उप/सहायक संचालक हाथकरघा के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

6.5 कंडिका 6.4 द्वारा संधारित खाते में वस्त्र बिक्री की राशि आवश्यक रूप से जमा की जावेगी तथा समिति के आवेदन के आधार पर कच्चे माल, मजदूरी व्यय हेतु कंडिका 6.4 अनुसार उपयोग में लायी जावेगी।

6.6 योजनांतर्गत प्रदत्त राशि का उपयोग केवल वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया के लिये ही की जावेगी।

6.7 वर्ष की कुल बिक्री राशि का 50 प्रतिशत लाभ राशि फिक्स डिपाजिट में जमा करेंगे ताकि निर्धारित अवधि में रिवाल्विंग फण्ड की राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सकें। तथा शेष 50 प्रतिशत लाभ राशि की सीमा तक कार्यालयीन व्यय हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

7. प्रदत्त सहायता राशि के दुरूपयोग होने की स्थिति में एवं निर्धारित समयावधि में वसूली में चूक होने पर समस्त राशि की वसूली भू-राजस्व अवशेष की भांति वसूली योग्य होगी।

7.1 रिवाल्विंग फण्ड की बकाया राशि, निर्धारित समय पर संबंधित बुनकर सहकारी समिति के द्वारा जमा नहीं करने की स्थिति में बकाया राशि मय 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज राशि वसूली योग्य होगी।

7.2 योजनांतर्गत सहायता राशि प्राप्ति हेतु 50 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध पत्र निष्पादित किये जावेगे।

7.3 रिवांल्विंग फण्ड योजनांतर्गत इन नियमों में कोई संशोधन राज्य शासन की स्वीकृति से ही हो सकेगा।

सही
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग

बुनकर सहकारी समितियों के लिए रिवाल्विंग फण्ड योजनांतर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र

1. बुनकर सहकारी समिति का नाम :.....
   एवं पत्र व्यवहार का पता :.....
2. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :.....
3. संचालक मण्डल का निर्वाचन तिथि :.....
4. वर्तमान संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंधक का नाम :-
   1 अध्यक्ष :.....
   2 प्रबंधक :.....

5. समिति की मूलभूत जानकारी :-

क्र	विवरण	अनु. जाति	अनु. जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अल्प संख्यक	सामान्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	सदस्य संख्या						
5.2	महिला सदस्य						
5.3	संस्थापित करघे						
5.4	कार्यशील करघेः- अ. समिति के माध्यम से ब. संघ के माध्यम से स. अन्य के माध्यम से						
5.5	बन्द करघों की संख्या						

6. नगद साख सीमा संबंधी जानकारी :-

   6.1 बैंक का नाम :.....
   6.2 नगद साख सीमा स्वीकृत होने का वर्ष :.....राशि.....
   6.3 साख सीमा खाते में जमा की गई राशि :.....
   6.4 वर्तमान में कालातीत राशि :.....

7. वस्त्र उत्पादन एवं बिक्री की जानकारी :- (विगत तीन वर्षो का)

क्र	वर्ष	वस्त्र उत्पादन मीटर/नग	वस्त्र की राशि	बिक्री की राशि

8. लाभ, हानि की जानकारी (विगत तीन वर्षो की) :- (विगत पत्रक संलग्न करें)

क्र	वर्ष	लाभ/हानि	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4

9. अंकेक्षण की स्थिति

10. रिवाल्विंग फण्ड योजनांतर्गत पूर्व में दी गई सहायता का विवरण :-

10.1 स्वीकृत वर्ष.....राशि.....

10.2 उपयोग की गई राशि .....

10.3 कोषालय में जमा की गई राशि .....

अ. चालान क्रमांक.....दिनांक.....राशि.....

ब. चालान क्रमांक.....दिनांक.....राशि.....

स. चालान क्रमांक.....दिनांक.....राशि.....

10.4 संचालनालय को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने का पत्र क्रमांक.....व दिनांक.....

11.रिवाल्विंग फण्ड योजनांतर्गत मांग की गई वित्तीय सहायता :-

क्र	विवरण	प्रति करघे मानक राशि	कार्यशील हेतु प्रस्तावित करघे	राशि
1	2	3	4	5
1	कॉटन वस्त्र उत्पादन हेतु	15000/-		

12.संस्था का ठहराव (संलग्न करें) .....

13.कार्य योजना .....

14.सहायता का औचित्य .....

//घोषणा पत्र//

प्रमाणित किया जाता है, कि रिवाल्विंग फण्ड योजनांतर्गत सहायता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही है।

1. रिवांल्विंग फण्ड योजनांतर्गत सहायता उपरांत कार्यशील बुनकरों की बीमा एवं मितव्ययता निधी का कटौत्रा अनिवार्य रूप से की जावेगी।
2. वर्ष के अंत में 50 प्रतिशत लाभांश राशि को बैंक में फिक्स डिपाजिट किया जावेगा। ताकि तीन वर्ष पश्चात चौथी वर्ष में वसूली सुनिश्चित की जा सकें।
3. रिवाल्विंग फण्ड योजनांतर्गत प्राप्त सहायता राशि का उपयोग केवल हाथकरघा वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया हेतु किया जायेगा।

हस्ताक्षर प्रबंधक हस्ताक्षर संस्था अध्यक्ष

जिला हाथकरघा कार्यालय.....की अनुशंसा प्रमाण पत्र

.....बुनकर सहकारी समिति मर्या.....

जिला.....द्वारा रिवाल्विंग फण्ड योजनांतर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, सहीं पाया गया है। अतः उक्त समिति को योजनांतर्गत रूपये..... अक्षरी .....रूपये मात्र की वित्तीय सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर एवं शील सहायक संचालक
हाथकरघा
.....

::अनुबंध पत्र::

यह अनुबंध आज दिनांक.....को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को संचालक ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा) छत्तीसगढ़ (जिन्हें आगे स्वीकृत कर्ता कहा गया है।) इस संबंध में उसके उत्तराधिकारी जो पद पर हो सम्मिलित करते हुए प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष ....बुनकर सहकारी समिति मर्या. .....जिला.....जिनका पंजीयन क्रमांक .....दिनांक.....है और जो अपने सचिव/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष के मार्फत कार्य कर रही है, जिसे इसमें इसके पश्चात् संस्था/ईकाई कहा गया है।

1 चूंकि संस्था/ईकाई के आवेदन पत्र के आधार पर संस्था को उनके हाथकरघा वस्त्र उत्पादित प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु इसमें इसके पश्चात दिये गये निर्वधनों और शर्तों पर रू.....अक्षरी.....रूपये मात्र रिवाल्विंग फण्ड योजनांतर्गत वित्तीय सहायता देने के लिये सहमत है। अतएव अब यह अनुबंध किया जाता है, कि :-

1. संस्था/ईकाई रिवाल्विंग फण्ड योजनांतर्गत रू.....अक्षरी..... .....रूपये मात्र की प्राप्ति स्वीकारी करती है।
2. संस्था/ईकाई द्वारा प्राप्त राशि तीन वर्ष बाद चौथे वित्तीय वर्ष में तीन त्रैमासिक किस्तों में बिना ब्याज के चालान द्वारा राज्य शासन के कोषालय में जमा करायेगी।
3. संस्था/ईकाई द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता राशि का उपयोग बंद करघों को कार्यशील करने/हाथकरघा उत्पादन प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु उपयोग करेगा, और उसका या उसके किसी भी अंश/भाग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगी।
4. संस्था/ईकाई ऐसी उद्देश्य या निर्देश का पालन करेगी जो इस करार से संबंध किसी भी मामले में उप/सहायक संचालक हाथकरघा जिसे इसके बाद संचालक ग्रामोद्योग कहा गया है, द्वारा समय-समय पर दिये जावेगें। संस्था/ईकाई ऐसे नियत कालीक विवरण तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जैसे की संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा समय-समय पर निर्देशित करें।
5. अनुबंध पत्र के कंडिका 2 अनुसार किश्त का भुगतान न किये जाने की स्थिति मे या संस्था/ईकाई के काम काज का अत्याधिक कुप्रबंध होने की स्थिति में, जिसके संबंध में संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा का निर्णय अंतिम तथा संस्था/ईकाई पर बंधनकारी होगा। किसी प्रकार की चूक व ऐसी घटना होने की तारीख से सहायता राशि की समस्य रकम तत्काल एक मुश्त वसूली योग्य होगी।

6. इसके अंतर्गत संस्था/ईकाई पर बकाया किसी भी प्रकार की रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।
7. यदि ऐसे विषयों को छोड़कर जिन पर इसमें घोषित किये गये अनुसार संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा/इस विलेख या उसमें निर्दिष्ट किन्हीं उपबंधों या उससे हो तो वह प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग की मध्यस्ता के लिये निर्दिष्ट किया जावेगा, जिन पर उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

दिनांक :.....

<u>प्रथम पक्ष</u>

साक्षी का नाम व हस्ताक्षर

1

2

3

उप/सहायक संचालक
हाथकरघा छ.ग. रायपुर

<u>द्वितीय पक्ष</u>

नाम पता
सचिव/प्रभारी अधिकारी/संस्था, अध्यक्ष
.....बुनकर सहकारी समिति मर्या.
.....जिला .....छ.ग.